GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 687
(ANSWERED ON 03.12.2025)

UNFILLED POSTS RESERVED FOR SC/ST/OBC

687. SHRI RAJA RAM SINGH:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) the details of total number of unfilled posts reserved for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC) across all Central Government Ministries and Departments, as on date group-wise (A, B, C, and D) and Ministry/Department-wise;
(b) the reasons for continued backlog in filling up these posts despite constitutional provisions and repeated directions for time-bound recruitment;
(c) whether the Government has issued any directives or sought accountability from defaulting Departments and if so, the details thereof; and
(d) whether the Government intends to launch a targeted recruitment drive to clear the backlog and ensure due representation of SC/ST/OBC candidates in public services, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Occurrence and filling up of vacancies is a continuous process. Instructions have been issued to all Ministries/Departments of the Central Government to constitute an In-House Committee for identification of backlog reserved vacancies, to study the root cause of such vacancies, to initiate measures to remove the factors causing such vacancies and fill them up through Special Recruitment Drives.

Instructions have also been issued to the Ministries/Departments of the Central Government to designate an officer of the rank of Deputy Secretary and above, as Liaison Officer, to ensure due compliance of the orders and instructions pertaining to reservation and to set up a Special Reservation Cell under the direct control of Liaison Officer to assist her/him in discharge of his/her duties.

With a view to ensure effective implementation of instruction in all the concerned Ministries/Departments, the aforesaid instructions have been reiterated from time to time and capacity building programmes have been organized. As a result, over 4.80 lakh backlog vacancies have been filled up since 2016.

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 687
(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पद

687. श्री राजा राम सिंहः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या का समूह-वार (क, ख, ग और घ समूह) और मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) संवैधानिक प्रावधानों और समयबद्ध भर्ती के लिए बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद उक्त रिक्त पदों को भरने में निरंतर बैकलॉग बने रहने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं या दोषी विभागों पर जवाबदेही तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार की उक्त बैकलॉग को समाप्त करने और सार्वजिनक सेवाओं में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित भर्ती अभियान शुरू करने की मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने के लिए, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का पता लगाने के लिए, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने हेतु उपाय प्रारंभ करने के लिए और विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे आरक्षण संबंधी आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें और संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करें ताकि उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्राप्त हो सके।

सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में इन अनुदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपर्युक्त अनुदेशों को समय-समय पर दोहराया गया है और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2016 से अब तक 4.80 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियां भरी गई हैं।

****